संख्या : 89/2016/1227/छप्पन-2016-46/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 09 नवम्बर, 2016**

विषय : ग्रुप कै0 सुनील कौरा तथा विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को अगुस्ता ए-109 एस हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में इमरजेन्सी ट्रेनिंग सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 50/ना0उ0नि0/आप्स-20/2015, दिनांक 30-08-2016 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 76/2016/1073/छप्पन-2016-46/2015, दिनांक 26.9.2016 तथा शासनादेश संख्या- 77/2016/1073(2)/छप्पन-2016-46/2015, दिनांक 26.9.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अगुस्ता ए-109 एस हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु ग्रुप कै0 सुनील कौरा दिनांक 17-11-2016 से 24-11-2016 तक एवं विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा को दिनांक 25-12-2016 से 31-12-2016 तक (यात्रा तिथियों को सम्मिलित करते हुए) की प्रशासकीय तथा ट्रेनिंग फीस के रूप में रूपये 13,87,200/- (रूपये तेरह लाख सत्तासी हजार दो सौ मात्र) के अग्रिम आहरण व भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2016 द्वारा प्रशिक्षण शुल्क रूपये 13,87,200/- के अतिरिक्त विदेश प्रशिक्षण के लिए लखनऊ से इटली जाने-आने, होटल, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, टैक्सी किराया, बीजा शुल्क आदि के व्यय रूपये 4,78,000/- की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। अत: राज्यपाल ग्रुप कै0 सुनील कौरा तथा विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को विदेश प्रशिक्षण के लिए लखनऊ से इटली जाने-आने, होटल, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, टैक्सी किराया, बीजा शुल्क आदि के व्यय के मद हेतु रूपये 4,78,000/- (रूपये चार लाख अठत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- शासनादेश दिनांक 26.9.2016 में विहित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 89/2016/1227(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0।
7- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय, नई दिल्ली।
8- सम्बन्धित अधिकारीगण।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।